

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं०- 2. वि०प्रा० योजना -35/15/13/योजना

/राँची, दिनांक- 05.06.2023

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव।

द्वारा :-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित्त कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कुल 2,00,00,000/- (रु० दो करोड़) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :-

स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित्त कार्यक्रम किया जाने का प्रस्ताव है। उक्त के निमित्त वित्त विभाग के पत्रांक-274 दिनांक-31.03.2023 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2,00,00,000/- (रु० दो करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त व्यय का वहन राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष -A7-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग के अन्तर्गत निम्न ईकाई में से विकलनीय होगा -

क्र०	ईकाई का नाम	विपत्र कोड	राशि
01	21. सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	43S220300003A7010321	2,00,00,000.00
कुल			2,00,00,000.00

3. उपर्युक्त राशि का आवंटन आवश्यकतानुसार विभागान्तर्गत प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के लिए विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/निदेशक, बी०आई०टी० सिन्दरी/संबंधित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होंगे।



5. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/जिला कोषागार, राँची/धनबाद/पलामू/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/जमशेदपुर/सरायकेला/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
7. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा स्कीम कोड 1288 है।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित्त विभाग के आदेश ज्ञापांक- 274/वि० दिनांक-31.03.2023 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
9. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2741 दिनांक- 23/10/03 के आलोक में प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. व्यय विवरणी, टी०भी०नं० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

/राँची, दिनांक- 05.06.2023

ज्ञापांक- 2.वि०प्रा०योजना -35/15/13/योजना

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/जिला कोषागार, राँची/धनबाद/पलामू/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/जमशेदपुर/सरायकेला/उप कोषागार तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 2.वि०प्रा०योजना -35/15/13/योजना

/राँची, दिनांक- 05.06.2023

प्रतिलिपि- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, बी०आई०टी० सिन्दरी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थान, झारखण्ड/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/बजट पदाधिकारी/सहायक निदेशक-II को Upload करने हेतु/बजट शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रवीन्द्र प्र० बर्णवाल)
प्रशाखा पदाधिकारी


(मनोवर आलम)
अवर सचिव


(गरिमा सिंह)
निदेशक, तकनीकी शिक्षा


(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव